रिपोर्टयोग्य

भारत के उच्चतम न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

2022 की आपराधिक अपील संख्या 530

दिनेश कुमार .....अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य ..... उत्तरदातागण

निर्णय

सुधांशु धूलिया , जे.

1. अपीलकर्ता और एक मांगे राम को भारतीय दंड संहिता ('आईपीसी') की धारा 34 के साथ पठित धारा 302/364/392/394/201 के तहत अपराधों के लिए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जगाधरी, हरियाणा द्वारा 2000 के सत्र परीक्षण संख्या 47 में दोषी ठहराया गया था।उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और शेष दोषसिद्धि पर 11.07.2003 के आदेश के अनुसार कम सजा सुनाई गई।इसके बाद दोनों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपील दायर की।अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान सह-अभियुक्त मांगे राम का 24.10.2004 को निधन हो गया और उसकी अपील दिनांक 11.05.2017 के आदेश द्वारा समाप्त हो गई। वर्तमान अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी गई और उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2017 के अपने आदेश के माध्यम से निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इस न्यायालय के समक्ष उनकी एसएलपी को 28.03.2022 को अनुमति दी गई थी।

हमने अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. सिराजुद्दीन और हरियाणा राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र यादव को विस्तार से सुना है।

2. अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।अंतिम बार देखे गए "साक्ष्य" और अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी से की गई खोज। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. मृतक गुरमेल सिंह हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव धीमो का रहने वाला था।08.05.2000 की सुबह वह अपने ट्रैक्टर पर अपने गांव से पास के गांव 'दादूपुर' (जो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर

है) के लिए रवाना हुए। दादूपुर में उन्हें अपनी बहन और बहनोई/जीजा से मिलना था। दिनांक 08.05.2000 को समय 2.00 बजे से सायं 5.30 बजे के बीच, वह अपनी बहन और बहनोई/जीजा के साथ था और अपने बहनोई/जीजा (पीडब्लू-1) के अनुसार वह दिनांक 08.05.2000 को सांय 5.30 बजे उनके घर से चला गया था।गुरमेल सिंह कभी अपने गांव नहीं लौटा।इस बीच, मृतक का भाई हरबंस सिंह (दोनों भाई धीमो गांव में अपने परिवारों के साथ रह रहे थे) 11.05.2000 (तीन दिन बाद) को अपने भाई के ठिकाने के बारे में अपनी बहन से पूछताछ करने के लिए गांव दादूपुर जाता है, जब उसे बताया जाता है कि मृतक ने 08.05.2000 को ही लगभग 5.30 बजे उनके घर से चला गया था।

हरबंस सिंह इसके बाद 11 मई, 2000 को शाम 4 बजे पीएस बूरिया, जिला यमुना नगर (हरियाणा) में एफ. आई. आर. दर्ज कराई ।वह एफ. आई. आर. में कहता है कि गुरमेल सिंह उसका भाई है और दोनों धिमो गांव में एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं।फिर वह बताता है कि कैसे उसका भाई 08.05.2000 की सुबह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने ट्रैक्टर पर अपने गांव से चला गया, लेकिन तब से वापस नहीं आया।वह बताता है कि जब वह अपने भाई की तलाश कर रहा था, तो वह दादूपुर गांव के पेट्रोल पंप पर अपने पड़ोसी करनजीत सिंह से मिला, जिसने उसे सूचित किया कि उसने गुरमेल सिंह को अपने ट्रैक्टर पर 8 मई 2000 को लगभग 7 बजे मांगे राम और दिनेश (दोनों आरोपी) के साथ देखा था, जो पास के गांवों के निवासी थे।वह इन दोनों व्यक्तियों के बारे में पता लगाने के लिए तुरंत उन गांवों में गए, जब उन्हें सूचित किया गया कि वे 08.05.2000 से लापता हैं।फिर वह अपनी एफ. आई. आर. में कहता है कि ये दो व्यक्ति मांगे राम और दिनेश आवारा हैं और उन्होंने उसके भाई को लूटने के लिए उसका अपहरण कर लिया है।इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत 11.05.2000 को एक मामला दर्ज किया।

मृतक का शव अगले दिन यानी 12.05.2000 को दोपहर 1.30 बजे एक नहर से बरामद किया था।उसी दिन जांच की गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। डॉ. सुमेश गर्ग (पीडब्ल्यू-4) और डॉ. अशोक कुमार शर्मा द्वारा सिविल अस्पताल, जगाधरी में 12.05.2000 को लगभग 4:15 बजे पोस्टमॉर्टम किया गया।शरीर कई जगहों से चमड़ी उखड़ने के साथ सूजा हुआ पाया गया।मृतक के सभी चार अंगों में रिगर मोर्टिस पाया गया, लेकिन गर्दन में अनुपस्थित था।मृतक की जीभ और होंठ गहरे लाल रंग के थे और सूजे हुए थे और आगे मुंह और नथुनों से लाल रंग का झाग निकल रहा था।थायराइड और हाइओइड उपास्थि के ऊपर गर्दन के चारों ओर 53 सें. मी. x 8 सें. मी.

का अस्थिबंध चिह्न था।लिगेचर के निशान का आधार कठोर था और लिगेचर के निशान के किनारे पीले और चर्मपत्र की तरह थे।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शरीर पर मौजूद लिगेचर के निशान मृत्युपूर्व गला घोंटने का खुलासा करते हैं। पेरिकार्डियम को संकुल पाया गया, हृदय का बायां कक्ष खाली पाया गया और हृदय के दाएं कक्ष में थोड़ा खून पाया गया।अंततः मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था जो प्रकृति में मृत्युपूर्व था।

शरीर के पोस्टमॉर्टम परीक्षण से पता चलता है कि रिगर मोर्टिस शरीर के सभी चारों अंगों में मौजूद था, लेकिन गर्दन में नहीं था।यह इस तथ्य का संकेत था कि रिगर मोर्टिस शरीर से पीछे हट रहा था।आम तौर पर कहें तो मृत्यु के एक से दो घंटे के भीतर रिगर मोर्टिस शुरू हो जाता है और लगभग 12 घंटे में सिर से पैर तक विकसित हो जाता है। रिगर मोर्टिस फिर उसी क्रम में गायब हो जाता है अर्थात पहले सिर से, फिर गर्दन और फिर शरीर के निचले हिस्से तक।उत्तर भारत में सर्दियों में रिगर मोर्टिस 24 से 48 घंटे और गर्मियों में 18 से 36 घंटे रहता है।वैसे भी, कई वेरिएबल (variable) हैं।शरीर की संरचना और मृतक का स्वास्थ्य, यह तथ्य कि इसे ठंडे पानी में रखा गया था और गर्मी से दूर रखा गया था, सभी कठोरता की प्रक्रिया को धीमा कर देंगे[1] मोदी द्वारा चिकित्सा न्यायशास्त्र और विषाक्तता विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक (अध्याय 15, पृष्ठ 342) ।

ठंडे पानी में डूबे शरीर में रिगर मोर्टिस देर से गायब होता है[2] उक्त (अध्याय 15, पृष्ठ 342)। इस मामलें में, मृतक का शरीर नहर से बरामद किया गया था और इसलिए इस संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है कि रिगर मोर्टिस अभी भी शरीर में रहेगा, लेकिन यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है।हालांकि मृतक की मृत्यु का सही समय सामने नहीं आया है, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसकी हत्या आरोपी (दिनेश कुमार और मांगे राम) ने 08.05.2000 को ही कर दी थी।यदि ऐसा है तो शरीर में लगभग 90 घंटे तक कठोरता बनी रहती है, जो असामान्य है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने इस कारक को स्पष्ट नहीं किया है, और बचाव पक्ष ने निश्चित रूप से इस पहलू पर डॉ. सुमेश गर्ग (पीडब्लू-4) से सवाल नहीं किया है। लेकिन इस पहलू के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह सवाल अभियोजन पक्ष से और विशेष रूप से उस डॉक्टर से पूछा जाना चाहिए था जिसने पोस्टमार्टम किया था। यदि प्रतिरक्षा द्वारा नहीं किया गया होता तो यह प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 165 के

अधीन न्यायालय में निहित शक्तियों के अधीन न्यायालय द्वारा साक्षी से पूछा जाना चाहिए था। लेकिन हम थोड़ी देर में इस पर पहुंचेंगे।

4. इस बीच सह-अपराधी मांगे राम को 12.05.2000 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर अगले दिन अर्थात् 13.05.2000 को उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहां उसने और दिनेश कुमार ने मृतक की हत्या की थी।इस स्थान से, दो जोड़ी चप्पलें बरामद की गईं जिनमें से एक अपीलकर्ता (दिनेश कुमार) की थी और दूसरी सह-आरोपी मांगे राम की।इस स्थान से मृतक के जले हुए बाल भी बरामद किए गए थे।इसके बाद मांगेराम पुलिस दल को नहर में ले गए जहां से शव को गिरा दिया गया।

5. 14.05.2000 को (यानी, अगले दिन) मांगे राम पुलिस दल को उस स्थान पर ले गए जहां मृतक का ट्रैक्टर उसके और दिनेश कुमार द्वारा छोड़ दिया गया था।फिर भी, जब तक पुलिस दल उस स्थान पर पहुंचा, तब तक स्थानीय पुलिस द्वारा ट्रैक्टर का पता लगाया जा चुका था और वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रामपुर पुलिस स्टेशन में उनकी हिरासत में था।जांच अधिकारी ने ट्रैक्टर को स्थानीय पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया।

6. वर्तमान अपीलकर्ता को 14.05.2000 को 'नंदगढ़' गांव से गिरफ्तार किया गया था।उसके खुलासे पर उसके आवास से एक कलाई घड़ी, 'परना' (पगड़ी) और 250/- रुपये के करेंसी नोट बरामद किए गए जो कथित तौर पर मृतक से संबंधित थे। इसके बाद वह पुलिस को उसी स्थान पर ले गया जहां सह-अपराधी मांगे राम उन्हें पहले दो स्थानों पर ले गया था, अर्थात्, वह स्थान जहां मृतक की हत्या की गई थी और वह स्थान जहां ट्रैक्टर छोड़ दिया गया था[3] इस बीच एफ. आई. आर. (तारीख 11.05.2000) में धारा एस.34 के साथ धारा एस. 392/394/302 जोड़ी गई। |

7. अंतिम बार देखे गए साक्ष्य करनजीत सिंह (पीडब्लू 10) के हैं जो शिकायतकर्ता (पीडब्लू 11) का पड़ोसी है। पीडब्लू 10 ने 08.05.2000 को लगभग शाम 7:00 बजे दो अभियुक्तों दिनेश कुमार और मांगे राम के साथ मृतक को देखा था। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मृतक ट्रैक्टर चला रहा था और दो अर्थात् अपीलकर्ता और मांगेराम ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे थे।

8. जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभियोजन का मामला दो पारिस्थितिक साक्ष्यों पर आधारित है: (क) पुलिस अभिरक्षा में दिया गया प्रकटन और उसके आधार पर की गई खोज और (बी) पीडब्लू 10 के रूप में अंतिम बार देखे गए साक्ष्य।पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है।जहां

तक उद्देश्य का संबंध है, अभियोजन पक्ष का मामला है कि दो अभियुक्तों ने मृतक की हत्या केवल उसका ट्रैक्टर चुराने के लिए की थी।इस मामले में मृतक एक 42 साल का अच्छे कद काठी का आदमी था जिसकी ऊंचाई 6 फीट 2 इंच थी (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिनांक 12.05.2000)।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक का दो अभियुक्तों ने उसके ट्रैक्टर के लिए अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी, जिसे उन्होंने उसे मारने के बाद मृतक से लूट लिया था।अब यह ट्रैक्टर आरोपियों ने किसी भी मामले में त्याग दिया था, और 12.05.2000 को उनमें से एक को पकड़े जाने तक इसे बरामद करने के लिए कुछ नहीं किया था।संक्षेप में, 'उद्देश्य' बहुत विश्वसनीय नहीं है।

अपीलकर्ता द्वारा पुलिस हिरासत में रहते हुए किए गए खुलासे, जिसके कारण कुछ खोजें हुईं, जैसे कि वह स्थान जहां चोरी का ट्रैक्टर छोड़ दिया गया था, वह स्थान जहां कथित अपराध किया गया था, और वह स्थान जहां शरीर को नहर में फेंका गया था, और 'परणा', जले हुए बाल, कलाई की घड़ी और 250/- रुपये के करेंसी नोट भी मिले।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 निम्नानुसार हैः

> अभियुक्त से प्राप्त जानकारी कितनी साबित की जा सकती है-बशर्ते, जब किसी तथ्य को किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम के रूप में पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्रकट किया जाता है, तो ऐसी जानकारी की इतनी मात्रा, चाहे वह एक संस्वीकृति के बराबर हो या नहीं, जो स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित हो जिसकी खोज की गई है, साबित की जा सकती है।"

उपरोक्त प्रावधान से पता चलता है कि खोज एक अलग तथ्य का होना चाहिए, तथ्य जो पुलिस हिरासत में एक के प्रकटीकरण से पता चला है।अभी तक, सह-अभियुक्त मांगे राम द्वारा की गई पूर्व खोज में ये तथ्य पहले से ही पुलिस के संज्ञान में थे।सह-अभियुक्त मांगे राम को 12.05.2000 को गिरफ्तार किया गया और 12,13 और 14 मई को इन खोजों का नेतृत्व किया गया।वर्तमान अपीलकर्ता को 14 मई, 2000 को गिरफ्तार किया गया था और उसके द्वारा की गई कथित खोजें बाद में समय पर की गई थीं।सह-अभियुक्त मांगे राम के संकेत पर की गई खोजों को वर्तमान अपीलकर्तागण के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा अपनी अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस को प्रकटन किया गया है और ऐसे प्रकटन से तथ्य का पता चलता है तो उस खोज को अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।इस सब के साथ, इस तरह की खोज की विशिष्ट विशेषता यह होनी चाहिए कि इस तरह के प्रकटीकरण से एक अलग तथ्य की खोज होनी चाहिए।चोरी किए गए ट्रैक्टर की बरामदगी, वह स्थान जहां हत्या की गई

थी और वह स्थान जहां नहर में शव फेंका गया था, ऐसे तथ्य थे जो पहले से ही पुलिस की जानकारी में थे, क्योंकि यह अभियोजन का मामला है कि सह-अभियुक्त मांगे राम, जिसे वर्तमान अपीलकर्ता की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, ने इससे पहले 12,13 और 14 मई, 2000 को समान खोजों का नेतृत्व किया था।इसलिए, इसके बाद किए गए इस खुलासे और खोज को वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है।पहले से ही खोजे गए तथ्य की कोई 'खोज' नहीं हो सकती।करेंसी नोटों, कलाई घड़ी, पर्णा और बालों की खोज बाकी है।बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट में केवल यह कहा गया है कि यह मानव का है।करेंसी नोटों की पहचान वास्तव में मृतक के साथ नहीं की जा सकती है।जो बचा है वह घड़ी और 'परणा' है, जिसकी पहचान मृतक के साथ की गई है।

दूसरा, अंतिम बार देखा गया साक्ष्य है।यह पी डब्लू 10 करतार सिंह के रूप में है जो शिकायतकर्ता का पड़ोसी है और जिसने अपीलकर्ता को सह-अभियुक्त मांगे राम के साथ 08.05.2000 को शाम के लगभग 7.30 बजे मृतक के साथ देखा था।

9. स्वीकार की गई स्थिति यह है कि मृतक का शव चार दिन बाद अर्थात् 12.05.2000 को दोपहर में नहर से बरामद किया गया था और उसी दिन यानी 12.05.2000 को शाम 4.15 बजे पोस्टमॉर्टम किया गया था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु पोस्टमार्टम से 48 घंटे से अधिक समय पहले हुई थी, जिसका अर्थ है कि मृत्यु 10.05.2000 को शाम 4 बजे से पहले हुई थी।हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्टों में आमतौर पर मौत का सटीक समय नहीं बताया गया है, लेकिन केवल एक अनुमानित समय या अवधि का संकेत दिया गया है, फिर भी वर्तमान मामले में सामान्य परिस्थितियों में, मृत्यु 10 मई, 2000 या 9 मई, 2000 को होनी चाहिए थी।इतना ही नहीं, अभियोजन का मामला यह है कि मृतक 8 मई, 2000 को खुद ही मारा गया था।यदि ऐसा है तो यह अभियोजन का कर्तव्य था कि वह यह समझाए कि मृत्यु के चार दिनों के बाद भी शरीर में कठोरता कैसे बनी रही।शरीर में 90 घंटे तक कठोरता रहने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कभी भी इसकी व्याख्या नहीं की।अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह उन असामान्य परिस्थितियों की व्याख्या करे जिसके तहत मई के महीने में 90 घंटे तक भी शरीर में कठोरता बनी रही।

उच्च न्यायालय ने केवल पी डब्लू के साक्ष्य पर भरोसा किया है, डॉ. सुमेश गर्ग, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जिन्होंने अपनी राय दी थी कि मौत पोस्टमार्टम के समय से 48 घंटे से अधिक

समय पहले हुई थी, और इसलिए मृतक को मांगे राम और वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा 08.05.2000 को मार दिया गया था, जो उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया हैः

> पीडब्लू-4 सुमेश गर्ग के अनुसार, जिन्होंने डॉ. अशोक कुमार शर्मा के साथ 12.05.2000 को गुरमेल सिंह के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया था। चोट और मृत्यु के बीच संभावित अवधि मिनटों के भीतर और मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच 48 घंटे से अधिक थी।इस प्रकार, यह पता चलता है कि गुरमेल सिंह की हत्या 08 मई, 2000 को अभियुक्त मांगे राम और दिनेश कुमार द्वारा की गई थी।"

10. विचारण न्यायालय इस पहलू के प्रति सचेत थी किंतु फिर उसने इस पहलू पर इस कारण ध्यान नहीं दिया कि प्रतिरक्षा द्वारा इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था, जो की विचारण न्यायालय द्वारा यह कहा गया थाः

> "मैंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देखी है।इस पर गौर करने से पता चलता है कि रिगर मोर्टिस सूजन के कारण सभी चार अंगों में मौजूद था, न कि सामान्य रूप से।बचाव पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह मृत शरीर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछे कि क्या कठोरता की उपस्थिति इस तथ्य का संकेत है कि मृतक की उसके शव की जांच के छतीस घंटे के भीतर हत्या कर दी गई थी।लेकिन ऐसा कोई सवाल डॉक्टर से नहीं पूछा गया।डॉक्टर ने अपने बयान में कहा था कि मौत और पोस्टमॉर्टम के बीच का समय 48 घंटे से अधिक था और डॉक्टर के इस बयान को उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में चुनौती नहीं दी गई थी।इसलिए बचाव पक्ष के वकील की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।"

11. हमें भय है कि प्रतिवाद की क्रॉस-एग्जामिनेशन में कमजोरी को इंगित करके पीठासीन न्यायाधीश अप्रत्यक्ष रूप से विचारण में ही कमजोरी को स्वीकार करते है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 165 के तहत एक ट्रायल जज के पास किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह या पक्षकारों से किसी भी प्रासंगिक या अप्रासंगिक तथ्य के बारे में कोई भी सवाल पूछने की जबरदस्त शक्ति होती है। वास्तव में ऐसा करना विचारण न्यायाधीश का कर्तव्य है यदि यह महसूस किया जाता है कि किसी गवाह से कुछ महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रश्न पूछे जाने बाकी है। मुकदमे का उद्देश्य मामले की सच्चाई तक पहुंचना है।अधिनियम की धारा 165 इस प्रकार हैः

> "165. प्रश्न पूछने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति न्यायाधीश प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने या उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी समय किसी भी रूप में किसी भी गवाह या पक्षकारों से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और किसी भी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है और न तो पक्षकार और न ही उनके एजेंट ऐसे किसी भी प्रश्न या आदेश पर कोई आपत्ति करने के हकदार होंगे, न ही न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी भी गवाह की प्रतिपरीक्षा कर सकते हैंःबशर्ते कि निर्णय इस अधिनियम द्वारा घोषित प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित और विधिवत साबित होःपरन्तु यह भी कि यह धारा किसी न्यायाधीश को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी साक्षी को

> विवश करने के लिए या ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जिसे ऐसा साक्षी धारा 121 से 131, दोनों धाराओं के अधीन उत्तर देने या पेश करने से इंकार करने का हकदार होगा, यदि प्रश्न प्रतिकूल पक्षकार द्वारा पूछा गया था या दस्तावेज की मांग की गई थी, न ही न्यायाधीश ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या 149 के अधीन पूछना अनुचित होगा और न ही वह इसमें इसके पूर्व अपवर्जित मामलों के सिवाय किसी अन्य दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का परित्याग करेगा।"

आपराधिक मुकदमे में पीठासीन न्यायाधीश की शक्तियां और मामले की सच्चाई तक पहुंचने का उसका कर्तव्य न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा लिखित इस न्यायालय के एक मौलिक निर्णय में निर्धारित किया गया है, जो राम चंद्र बनाम हरियाणा राज्य है[4] 1981 AIR 1036 । न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने उक्त निर्णय में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा दिए गए अपने पहले के निर्णय [5] सेशन न्यायाधीश, नेल्लोर बनाम इंथा रमन्ना रेड्डी, आईएलआर 1972 एपी 683 और 1972 सीआरआई एलजे 14 85 का उल्लेख किया, जहां यह कहा गया थाः

> प्रत्येक आपराधिक मुकदमा खोज की एक यात्रा है जिसमें सत्य ही खोज है।पीठासीन न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह सच्चाई की खोज करने और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने लिए खुले हर रास्ते का पता लगाए।इस प्रयोजन के लिए उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 द्वारा गवाहों से प्रश्न पूछने के अधिकार के साथ अभिव्यक्त रूप से विनिहित किया गया है।वास्तव में न्यायाधीश को दिया गया अधिकार इतना व्यापक है कि वह किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह या पक्षकारों से प्रासंगिक या अप्रासंगिक किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 (2) अदालत को किसी मामले में पुलिस डायरी मंगाने और उसका उपयोग मुकदमे में मदद के लिए करने में सक्षम बनाती है। सेशन न्यायाधीश द्वारा कमिटिंग मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया जा सकता है ताकि उसे मुकदमे में और अधिक सहायता मिल सके।"

आपराधिक मुकदमे के पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य एक दर्शक या रिकॉर्डिंग मशीन के रूप में कार्यवाही को देखना नहीं है, बल्कि उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए गवाहों से सवाल पूछकर बुद्धिमत्तापूर्ण सक्रिय रुचि पैदा करके मुकदमे में भाग लेना है।" जोन्स बनाम नेशनल कोल बोर्ड[6] (1957) 2 एआयीआयी इआर 155 : (1957) 2 डब्लूअलआर 760 : मामले में लार्ड डेनिंग के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि यह न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह गवाहों से सवाल पूछे जब किसी भी बिंदु को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाए जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है या अस्पष्ट छोड़ दिया गया है, तो वह आगे कहते हैंः

> "हम लार्ड डेनिंग से आगे बढ़कर कह सकते हैं कि यह न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह सच्चाई की खोज करे और इस उद्देश्य के लिए वह किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह या पक्षकारों से किसी भी प्रासंगिक या अप्रासंगिक तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है (धारा 165, साक्ष्य अधिनियम)।लेकिन उसे ऐसा बिना किसी पक्षपात के संकेत के और गवाहों को डराए या धमकाए बिना, सरकारी अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील के कार्यों का अनावश्यक अतिक्रमण किए बिना करना चाहिए।उसे अभियोजन और बचाव पक्ष को अपने साथ ले जाना चाहिए। अदालत, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को एक ऐसी टीम के रूप में काम करना चाहिए जिसका लक्ष्य न्याय हो, एक ऐसी टीम जिसका कप्तान न्यायाधीश हो। न्यायाधीश को गायक-मण्डल के संचालक की तरह व्यक्तित्व के बल पर अपनी टीम को उकसाना चाहिए कि वह उतावले लोगों को वश में करके सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करे, डरपोक लोगों को प्रोत्साहित करे, युवा, चापलूस और (sic) बुजुर्गों के साथ षड्यंत्र करे।

हमारी सुविचारित राय में अभियोजन इस मामले में महत्वपूर्ण लिंक स्थापित करने में विफल रहा है, जो पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। 90 घंटे के बाद शरीर में मौजूद रिगर मोर्टिस असामान्य है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह संभव है।यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था कि वह इसकी व्याख्या करे।बचाव पक्ष भी इस पर सवाल उठाने में विफल रहा और न्यायालय चुप रहा।आइए अब हम अंतिम बार देखे गए साक्ष्यों पर फिर से गौर करें।

12. अंतिम बार देखा गया साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, विशेष रूप से जब आरोपी को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और मृतक के शरीर का पता चला था, या इस मामले में मृतक की मृत्यु के समय के बीच निकट निकटता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन मामलों में अंतिम बार देखे गए समय और मृतक की मृत्यु के बीच लंबा अंतराल होता है, वहां अंतिम बार देखे गए साक्ष्य का मूल्य समाप्त हो जाता है।ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर यह साबित करने के लिए अभियोजन पर बहुत भारी बोझ डाला जाता है कि मृतक के शरीर की इस अवधि के दौरान और मृतक के शरीर की खोज या मृतक की मृत्यु के समय के दौरान, अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृतक तक पहुंच नहीं हो सकती थी।वर्तमान मामले में अंतिम बार एक साथ देखी गई परिस्थितियां अपने आप में अपराध का आधार नहीं बन सकती हैं (देखें: अंजन कुमार शर्मा और अन्य बनाम असम राज्य [7] (2017) 14 एससीसी 359-पैरा 19)।

अंतिम बार एक साथ देखी गई परिस्थितियों से यह अपरिवर्तनीय निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध आरोपी ने ही किया है।अभियोजन पक्ष को आरोपी और किए गए अपराध के साथ इस संपर्क को स्थापित करने के लिए कुछ और करना चाहिए।विशेष रूप से, वर्तमान मामले में जब अंतिम बार

एक साथ देखी गई परिस्थितियों और मृत्यु के अनुमानित समय के बीच कोई करीबी निकटता नहीं है, तो अंतिम बार देखा गया साक्ष्य कमजोर हो जाता है (देखें: मल्लेशप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [8] (2007) 13 एससीसी 399-पैरा 23)।

निजाम और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाले मामले में[9] (2016) 1 एससीसी 550, जहां अंतिम बार एक साथ देखा गया था और मृतक के शरीर की खोज के बीच समय का अंतर लंबा था, यह माना गया था कि इस अवधि के दौरान कुछ अन्य हस्तक्षेपों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जहां अंतिम बार देखा गया समय और मृत्यु का समय पर्याप्त है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, वहां इस निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा कि अभियुक्त हत्या के लिए जिम्मेदार है।ऐसे मामलों में 'अंतिम बार देखा गया सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्धि करना असुरक्षित है और अभियोजन द्वारा पेश किए गए अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से संपुष्टि की तलाश करना सुरक्षित होगा।यहां अन्य परिस्थितियां तथाकथित खोज हैं, और इनमें से अधिकांश, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की आवश्यकता को पूरा करने में विफल हैं।

12 मई 2000 को शाम 4:15 बजे किए गए पोस्ट मॉर्टम के अनुसार, पोस्ट मॉर्टम से 48 घंटे पहले मौत हुई थी, जिसका अर्थ है कि यह 10.05.2000 को शाम 4:00 बजे से पहले थी।यह मानते हुए कि मृत्यु एक दिन पहले यानी 09.05.2000 को हुई है, फिर भी अंतिम बार देखा गया जो 08.05.2000 को शाम 7:00 बजे और 09.05.2000 की सुबह के बीच एक लंबा अंतर है। गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान [10] (2007) 3 एससीसी 755 के मामले में, जहां अंतिम बार देखे गए साक्ष्य में, मृत शरीर की बरामदगी केवल कुछ घंटे पहले हुई थी, इसे विश्वसनीय नहीं माना गया था।

इस न्यायालय ने अजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य [11] (2011) 14 एससीसी 401 वाले मामले में इस बात पर फिर से जोर दिया था, जहां इस बात पर जोर दिया गया था कि पीड़ित को अंतिम बार जीवित देखा गया था और मृतक के शरीर की खोज के बीच का समय निकटता का होना चाहिए, ताकि अपराध का लेखक होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति को इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।इस मामले में, भले ही हम अंतिम बार देखे गए समय और पोस्टमॉर्टम के अनुसार मृत्यु के अनुमानित समय के बीच समय लें, जो पोस्टमॉर्टम के समय से 48 घंटे से आगे जाएगा और मृत्यु का समय 9 मई, 2000 की सुबह तक बढ़ाया जा सकता है, जो अभी भी समय अंतराल के बारे में अभियोजन से

स्पष्टीकरण मांगता है, जैसा कि मृतक को अंतिम बार 08.05.2000 को 7:00 बजे दोनों अभियुक्तों के साथ देखा गया था।

निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया है।दोनों न्यायालयों ने अधिनियम की धारा 103 पर भरोसा किया है और अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में मृतक के साथ अपनी उपस्थिति का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं रहा है, इसलिए इसे अभियुक्त के खिलाफ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में माना जाना चाहिए।वर्तमान मामले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रतीत होता है जिसने निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी अभियुक्त के अपराध को साबित करने में मदद की।हालांकि, हमें डर है कि यह अधिनियम की धारा 106 का पूरी तरह से गलत पाठ है।

अधिनियम की धारा 101 सबूत का भार अभियोजन पर डालती है। इसका पाठ इस प्रकार हैः

> 101. सबूत का भार-जो कोई यह चाहता है कि कोई न्यायालय तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, तो उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं।जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो यह कहा जाता है कि सबूत का बोझ उस व्यक्ति पर पड़ता है।

अधिनियम की धारा 106 धारा 101 के लिए एक अपवाद बनाती है और इसका पाठ इस प्रकार हैः

> 106. विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य साबित करने का बोझ-जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान के भीतर होता है, तो यह साबित करने का बोझ उस पर होता है।

अधिनियम की धारा 106 नियम का एक अपवाद है जो अधिनियम की धारा 101 है, और यह केवल एक सीमित अर्थ में लागू होता है जहां साक्ष्य की प्रकृति ऐसी है जो विशेष रूप से उस व्यक्ति की जानकारी के भीतर है और फिर उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर पड़ता है।

सबूतों का बोझ हमेशा अभियोजन पर होता है।यह अभियोजन पक्ष है जिसे अपने मामले को संदेह से परे साबित करना है।अधिनियम की धारा 106 उस स्थिति को नहीं बदलती है।यह केवल

कतिपय परिस्थितियों की स्थापना पर किसी तथ्य के प्रकटन का भार डालता है।हमारे पास पी डब्लू 10 (करनजीत सिंह) की गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, "अंतिम बार देखा" का एकमात्र गवाह।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में, जब अपीलकर्ता से सह-अभियुक्त मांगे राम के साथ 08.05.2000 को मृतक के साथ होने के बारे में सवाल किया गया, तो अपीलकर्ता द्वारा उसके ठिकाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यही कारण है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने बोझ का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है और इसलिए इसे अपीलार्थी के खिलाफ साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त लिंक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि, हमारे विचार से, अधिनियम की धारा 106 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत यहां तक नहीं आएगी।

13. ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिनियम की धारा 106 केवल तभी लागू होती है जब अभियोजन द्वारा अन्य तथ्य स्थापित किए गए हों।इस मामले में, जब अंतिम बार देखा गया साक्ष्य कमजोर आधार पर है, पी डब्लू10 द्वारा अंतिम बार देखा गया समय और मृतक की मृत्यु के समय के बीच लंबे अंतराल को देखते हुए, अधिनियम की धारा 106 अजीब तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के तहत लागू नहीं होगी।

14. जहां तक वसूली का संबंध है, वसूली फिर से कमजोर है।कथित अपराध का स्थान और ट्रैक्टर की बरामदगी या वह स्थान जहां ट्रैक्टर छोड़ दिया गया था, का खुलासा सह-अभियुक्त द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के समय तक कर दिया गया था। इसलिए, घटना के स्थान या उस स्थान के बारे में खुलासा करना जहां ट्रैक्टर छोड़ दिया गया था, कोई मायने नहीं रखता है।जहां तक अपीलकर्ता के निवास से घड़ी, 250/- रुपये के करेंसी नोट, बाल और 'पर्णा' की बरामदगी का संबंध है, मुद्रा नोटों और बालों की पहचान मृतक के साथ नहीं की गई है। आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है।इस भारी बोझ को अभियोजन पक्ष द्वारा हटाया जाना है।पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में यह और भी कठिन हो जाता है।वर्तमान मामले में, पारिस्थितिक साक्ष्य की प्रकृति कमजोर है।अभियुक्त पर अपराध का आरोप सिद्ध करने के लिए, साक्ष्य की श्रृंखला पूरी की जानी चाहिए और श्रृंखला को एक और केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए, जो यह है कि केवल अभियुक्त ने अपराध किया है और किसी और ने नहीं।हमें डर है कि अभियोजन इस बोझ को पूरा नहीं कर पाया है।

पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में न्यायालय द्वारा जिन कारकों पर विचार किया जाना है, वे बहुत अच्छी तरह से स्थापित हैं, लेकिन फिर भी ये कारक जो अंजन कुमार शर्मा (उपरोक्त) से पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैंः

> (1) वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए।संबंधित परिस्थितियां "जरूर" "या" "चाहिए" और नहीं "स्थापित की जा सकती हैं";
>
> (2) इस प्रकार स्थापित तथ्यों को केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;
>
> (3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;
>
> (4) उन्हें हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित कर देना चाहिए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित किया जाना है; और
>
> (5) साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

15. हमारे सुविचारित विचार में, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। अंतिम बार देखा गया साक्ष्य केवल एक बिंदु तक ले जाता है और आगे नहीं।यह एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए इसे आगे जोड़ने में विफल रहता है।हमारे पास केवल अंतिम बार देखा गया साक्ष्य है, जैसा कि हमने देखा है कि मामले की परिस्थितियों में, अंतिम बार देखा गया समय और मृत्यु के संभावित समय के बीच की लंबी अवधि के कारण इसका वजन काफी कम हो जाता है।अधिनियम की धारा 27 के तहत हम जिसे खोज कह सकते हैं, वह है 'परणा' की खोज और मृतक की घड़ी।यह साक्ष्य अपीलकर्ता पर दोष तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ऐसे मामले में जहां अपराध का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, अभियोजन को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपना मामला तैयार करना होगा।यह अभियोजन पक्ष पर बहुत भारी बोझ है। अभियोजन द्वारा एकत्र की गई परिस्थितियों की श्रृंखला को श्रृंखला को पूरा करना चाहिए, जो केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करती है कि यह अभियुक्त है जिसने अपराध किया है, और कोई नहीं। प्रत्येक साक्ष्य जो सबूतों की श्रृंखला को पूरा करता है, उसे ठोस आधार पर खड़ा होना चाहिए।हमारी सुविचारित राय में, इस मामले में अभियोजन द्वारा रखा गया साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अपेक्षित मानक पारित नहीं करता है।

16. अतः यह अपील सफल होती है।निचली अदालत और उच्च न्यायालय के क्रमशः 11.03.2007 और 31.05.2017 के आदेशों को निरस्त किया जाता है।अपीलकर्ता अब जेल में है, उसे तुरंत रिहा किया जाये जब तक कि उसकी उपस्थिति किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो।

..... जे.
[सुधांशु धूलिया]

..... जे.
[संजय कुमार]

नई दिल्ली
04 मई**, 2023.**

मद संख्या 1501 कोर्ट नंबर 11 सेक्शन II-B

भारत के उच्च न्यायालय में

प्रक्रिया का रिकॉर्ड

आपराधिक अपील संख्या (ओं) 530/2022

दीनेश कुमार अपीलकर्ता (गण)

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी (गण)

(आईए संख्या 96201/2022- फाइल करने की अनुमति. दस्तावेज. तथ्य/अनुलग्नक)

तारीखः 04-05-2023 इस मामले को आज निर्णय सुनाने के लिए बुलाया गया था।

अपीलकर्ता के लिए	श्री ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता (एससीएलएससी)
	श्री नरेश कुमार, ए ओ आर
	श्री कीर्ति वासन, एडवोकेट
प्रतिवादीगण के लिए	श्री दिनेश चन्द्र यादव, ए. ए. जी।
	श्री ए. एस. ऋषि, एडवोकेट
	श्री ईश्वर चंद, एडवोकेट
	श्री एम. के. बंसल, एडवोकेट
	डॉ. मोनिका गुसैन, एओआर

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने हिज लार्डशिप और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार की पीठ का फैसला सुनाया।

अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता को हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय के संदर्भ में तुरंत जारी किया जाता है, जो फाइल पर रखा जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाएंगे।

(निर्मला नेगी) (विद्या नेगी)

कोर्ट मास्टर (श्री) सहायक रजिस्ट्रार

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।